न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सैशन न्यायाधीश, कम–2, जयपुर जिला जयपुर)

पीठासीन अधिकारी : विद्यानन्द शुक्ला, आर0जे0एस0
''जिला न्यायाधीश संवर्ग''

जमानत आवेदन संख्या : 123/2026

एन0सी0वी0 नंबर : 177/2026

मंजूर अली पुत्र श्री कंवर बाबूलाल, उम्र–59 साल, निवासी–वार्ड नंबर 3, रंगमंच के पास, कस्बा दूदू पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर ग्रामीण।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक, जयपुर जिला।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमीनल अपील नं0 825/2026 जेबा खान बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में प्रदत्त निर्देशों/आदेश के अनुसरण में विवरण :–

प्रकरण का विवरणः–

एफआईआर नंबर	दिनांक	एफआईआर दर्ज धाराएँ	अधिकतम सजा
14/2026	05.03.2026	115(2), 351(2), 64(1), 70(1) भारतीय न्याय संहिता व 3–2(v)(va)Sc/St Act	आजीवन कारावास

अभियुक्त का विवरण

गिरफतारी दिनांक	निरूद्ध अवधि
26.05.2026	14 दिवस

विचारण का स्तर

प्रकरण अनुसंधानरत है।

आपराधिक रिकार्ड

क.सं.	मु0नं0 व धारा	चालान नं.	फैसला
–शून्य–			

पूर्व में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र

क.सं.	न्यायालय	जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	जमानत आदेश दिनांक	आदेश
शून्य				

बाध्यकारी प्रकियाऍ : गैर जमानती वारंट, उद्घोषित अपराधी का दर्जा

शून्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 14/2026 पुलिस थाना–मौजमाबाद
अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 351(2), 64(1), 70(1) भारतीय न्याय संहिता व 3–2(V)(Va)Sc/St Act

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थितः
1– सर्वश्री जावेद बेग, समीर खान, आरिफ मोहम्मद खान, अधिवक्तागण, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3– परिवादी की ओर से बावजूद नोटिस कोई उप0 नहीं।

आदेश **दिनांक 10 जून,2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त मंजूर अली की ओर से जरिये अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 के तहत पेश किया गया। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। केस डायरी तलब की गयी।

2. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम सूचनाकर्ता पीड़िता द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना मौजमाबाद के समक्ष दिनांक 05.03.2026 को एक लिखित रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि *" वह खेती बाडी करके अपना व अपने परिवार का पेट पालन करती है। उसका पति मानसिक रूपसे बीमार रहता हैं व मेरे दो पुत्र है जिनमे से एक पुत्र नाबालिग है तथा दूसरा पुत्र मानसिक रोगी है। उक्त गांव रसीली में हमारी खेती की भूमि है जिसको रामदेव कुम्हार, जो कि हमारी खेती की भूमि को बांटे पर बा–जोत करता आ रहा है। वर्ष 2019 मे मैं अपने खेत में दोपहर अपनी चोमासे की बाजरे की फसल की संभालने गई तो खेत मे रामदेव कुम्हार मोजूद था और जिसने मुझे बातो मे लगा लिया तथा कहा कि गर्मी हो रही है मैं जाकर ठण्डा लेकर आता हू जब तक तुम खेत की संभाल करो यह कह कर वह ठण्डा लाने के लिये चला गया कुछ देर बाद रामदेव वापस लौटा व अपने साथ पेप्सी की बोतल व एक ग्लास लेकर आया तथा मुझे पेप्सी पिला दी उसने खुद ने पेप्सी नहीं पी जब मैंने इसका कारण पुछा तो वह कहने लगा कि मैं तो दुकान पर ही पीकर आ गया हूँ। पेप्सी पीने के कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाते हुये रामदेव ने मेरे साथ मेरी इच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म किया तथा मेरा अश्लील विडियो बना लिया। इसके बाद मुझे जब होश आया तो मैने मेरी अस्त व्यस्त स्थिति को देख कर उससे पूछा कि तुने मेरे साथ क्या किया है तथ मुझे पेप्सी मे क्या पिलाया जिससे मैं बेहोश हो गई इस पर उसने मुझे मेरा*

बनाया हुआ अश्लील विडियो दिखाते हुये मुझे मेरे साथ जबरन मेरी इच्छा के विरुद्ध किये गये दुष्कर्म की विडियो क्लिपिंग दिखाई जिसे मैं देख कर दंग रह गई तथा मैंने जब उसे एसा करने के बारे में उलाहना दिया तो वह मुझे मेरे घर दूदू छोड कर चला गया तथा मुझे धमकाते हुये कहा कि किसी को तुने इस घटना के बारे में बताया तो मैं तेरा विडियो वायरल कर दूंगा तथा तेरे दोनो बच्चो को जान से मार दूंगा मैं डर के मारे चुप रह गई इसके बाद भी रामदेव मुझे धमका कर आये दिन मेरी विडियो क्लिपिंग को उजागर करने का दबाब बनाकर व मेरे बच्चो को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर जबरन मेरी इच्छा के विरूद्ध मेरा देहशोषण मेरी इच्छा के विरुद्ध करने लगा इतना ही नही वह आये दिन दूदू मेरे घर पर आकर भी मेरे साथ जब चाहे जब दुष्कर्म करके चला जाता। मैं उसे ऐसा करने से रोकती व एतराज करती तो वह मुझे मेरी खीची गई विडियो क्लिपिंग को गांव में उजागर करके मुझे बदनाम करने की धमकीया देकर चुप कर देता। इतना ही नहीं बाद में वह अपने साथ अपने भाई धन्नाराम कुम्हार को भी लेकर आने लगा तथा दोनो मिल कर मेरे साथ जबरन दुष्कर्म कर जाते । उसके बाद इन दोनो ने उक्त दुष्कृत्य करने का रोज का सिलसिला चालू कर दिया। इतना ही नहीं उसके बाद नवम्बर वर्ष 2023 मे मंजूर अली नामक व्यक्ति मेरे घर आया तथा मेरे से कहा कि तेरे साथ रामदेव ने खेत पर जो गलत काम किया था उसका विडियो मेने देख लिया है जो मेरे पास है जिसे मैं वायरल कर दूंगा यदि तु अपना भला चाहती है तो मैं जैसा करू वैसा करने दे, उसकी धमकी से मैं घबरा गई तथा उसने भी मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और वह भी निरन्तर मुझे मेरा विडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरा देहशोषण करने लगा और अपने साथ अन्य दो व्यक्तियों को भी लाकर मेरे साथ दुष्कर्म कराता जिनका मैं नाम नही जानती जिनको सामने आने पर पहचान सकती हूँ। इनकी इन हरकतो से मैं काफी दबाव में आ गई तथा मानसिक रूप से बीमार हो गई जिसका इलाज मेरा पिछले दो साल से निरन्तर चल रहा है। मेरी इस परिस्थिति में भी मंजूर ने मेरा देहशोषण करना बंद नहीं किया तथा डरा धमका कर मेरे साथ अक्सर दुष्कर्म कर देहशोषण करता आ रहा है तथा वह चालाकीपूर्वक मेरे साथ जबरन दुष्कर्म करने के पश्चात मेरे अन्तःवस्त्रो को अपने साथ लेकर चला जाता और धमकी देकर जाता कि तु मुझे नही जानती है मेरी राजनैतिक उपर तक पहुंच है मैं तेरे को वेश्यावृति के झूठे आरोप में जेल में बंद करा दूगा। इतना ही नहीं गत एक वर्ष से मंजूर के साथ कानाराम गुर्जर ने भी आकर मेरे साथ गलत काम किया व निरन्तर दुष्कर्म करता आ रहा है उक्त मंजूर व कानाराम के द्वारा मेरे साथ जबरन किये गये दुष्कर्म के दोरान मेरे पहने हुये कपडे अपने साथ ले जाना भूल गये जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। दिनांक 21.2.2026 को दिन में 12.30 बजे के आस पास कानाराम गुर्जर मेरे घर आया तथा मेरे साथ कानाराम व मंजूर के द्वारा पूर्व

में किये गये दुष्कर्म के जो कपडे ले जाना भूल गया था वह मुझसे लेने के लिये आया। जब मेने उसे उक्त वस्त्रो को देने से मना किया तो उसने वहां रखे डण्डे से मुझे मारपीट कर गिरा दिया जिससे मेरे पैर मे फ्रेक्चर हो गया। उसी दौरान मेरा पुत्र दिनेश व मोती हरिजन निवासी दूदू मेरे घर आये तो उनको देख कर कानाराम वहां से भाग गया। उसके बाद मेरा पुत्र दिनेश व मोती हरिजन मुझे अस्पताल लेकर गये जहां मेरा इलाज किया व मेरे पैर में प्लास्टर बांधा गया। उसके बाद से ये लोग मुझे व मेरे पुत्र को निरन्तर धमकीया दे रहे है कि तु हमें अपने अंतः वस्त्र दे दे नही तो तुझे तेरे को जान से मार देगे और वेश्यावृति के झूंठे मुकदमे मे फंसा देगे...आदि।'' उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौजमाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 351(2), 64(1), 70(1) भारतीय न्याय संहिता व 3–2 (V)(Va)Sc/St Act में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में प्रति प्रेषित किया गया तत्पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4. बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मौखिक बहस में कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता द्वारा वर्ष 2019 में गलत काम करना जाहिर किया गया है किंतु उसके द्वारा इस रिपोर्ट से पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पीड़िता द्वारा उसका विडियों बना लेने का जो कथन किया गया हैं ऐसी कोई विडियों पूर्व अनुसंधान अधिकारी एवं वर्तमान अधिकारी द्वारा बरामद नहीं किया गया है। पीड़िता अपने कपड़ों के संबंध में अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में विरोधाभासी कथन करती हैं पीड़िता ने अपने कपड़े सुरक्षित रखने बाबत जो कथन अपनी रिपोर्ट में किया हैं उससे स्पष्ट है कि पीड़िता का आशय प्रार्थी को झूंठे मुकदमें में फंसाने का रहा हैं तथा पीड़िता द्वारा हनी ट्रेप में फंसाकर प्रार्थी से नरेन्द्रसिंह के माध्यम से तीन लाख रूपये की राशि ऐंठ ली गयी है। पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा दुष्कर्म के तथ्यों से अपने अनुसंधान में इंकार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तथा दिनांक 30.06.2026 को सेवानिवृत्ति है जिसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए उक्त झूंठा प्रकरण मिथ्यों आधारों पर दर्ज करवाया गया है। उक्त प्रकरण पीड़िता द्वारा भू माफिया भूपेन्द्र के साथ मिलकर प्रार्थी व भूपेन्द्र के मध्य सम्पत्ति का विवाद होने के कारण दर्ज करवाया गया है। पीड़िता ने जिस व्यक्ति द्वारा प्रार्थी

को विडियों देना बताया है उस व्यक्ति से प्रार्थी ना तो कभी मिला है और ना ही वह उसका परिचित है। पीड़िता द्वारा घटना के लगभग सात वर्ष बाद रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है जिस देरी का कोई स्पष्टीकरण पीड़िता द्वारा नहीं दिया गया है। प्रार्थी को अधिकतर पीड़िता द्वारा ही कॉल किये जाते रहे है। पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिन, दिनांक व समय का अंकित नहीं किया है। प्रार्थी 60 वर्षीय वृद्ध होकर समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही बरामदगी होना शेष है। प्रार्थी अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया तथा अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए :–

(1) लॉ एंड वर्डिक्ट 2026 एससी मुकेश कुमार बनाम बिहार राज्य,6426

(2) 2021 (4) क्राईम्स (पटना) बिहार राज्य और अन्य बनाम तस्लीम (परिवर्तित नाम) ओर अन्य, 170

(3) लॉ एंड वर्डिक्ट 2024 एससी महेश दामु खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 11131

(4) 2021 (1) डब्ल्युएलसी (राज0) युसी मोहम्मद समीर कुरेशी बनाम राजस्थान राज्य, 553

(5) लॉ एंड वर्डिक्ट 2014 एससी मुन्ना बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 636

(6) 2016 क्रि0लॉ0जर्नल दीपक आर्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य, 98

(7) लॉ एंड वर्डिक्ट 2021 एससी विकाश उर्फ विकास कुमार उर्फ विकाश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य,4386

(8) 2022 (2) क्राईम्स (मद्रास) शिवासंकर बाबा उर्फ सी0एन0 शिवासंकर बनाम राज्य, 328

(9) 2024 (10) डब्ल्युएलसी (एससी) पार्थाचटर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशक, 581

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आवेदन पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता, जो कि अनु0 जाति/जनजाति की सदस्या हैं, के साथ अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने के गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप हैं। अतः जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जावें।

6. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन

किया गया।

7. प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय का मत इस प्रकार है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से धारा 64 (1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3–1(W)(ii), 3–2(V)Sc/St Act के अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। पत्रावली पर पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान भी मौजूद हैं, जिसमें पीड़िता द्वारा अभियुक्त को अपराध के संबंध में नामित किया हैं। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नामित हैं। पीड़िता की बलात्कार के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी हैं। जहां तक विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क कि प्रकरण में रिपोर्ट काफी विलंब से दर्ज करवायी गयी हैं तो इस संबंध में पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नवम्बर,2023 में अपराध कारित किये जाने का तथ्य प्रकट किया है तथा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कारण पीड़िता विडियो वायरल करने की धमकी देना भी जाहिर किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।यद्यपि पत्रावली से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज/लंबित/विचाराधीन होना दर्शित नहीं हैं किंतु प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप हैं।

8. जहां तक प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का प्रश्न है, तो (1) लॉ एंड वर्डिक्ट 2026 एससी मुकेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 6426 (2) लॉ एंड वर्डिक्ट 2024 एससी महेश दामु खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 11131 के मामलों में विवाह करने का वचन दिये जाने के आधार पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। इसी प्रकार 2021 (1) डब्ल्युएलसी (राज0) युसी मोहम्मद समीर कुरेशी बनाम राजस्थान राज्य,553 के मामले में पीड़िता नाबालिग थी इसलिए तब बलपूर्वक लैंगिक हमले के चिन्ह ना होने के आधार पर जमानत स्वीकार की गयी थी। इसी प्रकार 2022 (2) क्राईम्स (मद्रास) शिवासंकर बाबा उर्फ सी0एन0 शिवासंकर बनाम राज्य, 328 के मामले में भी पीड़िता नाबालिग थी ओर अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने की शिकायत सात वर्ष बाद की गयी थी। इसी प्रकार 2024 (10) डब्ल्युएलसी (एससी) पार्थाचटर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशक, 581 का मामला मनी लांड्रिग का था। इन मामलों में विशेष परिस्थितियॉ होने के आधार पर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया था। हस्तगत प्रकरण की स्थिति पूर्णतया भिन्न हैं मामला संगीन प्रकृति का है। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्तों में अपील की सुनवाई के वक्त अर्थात् गुणावगुण पर

मामले की सुनवाई के पश्चात् जो निर्णय प्रदान किया गया उसकी विवेचना कर अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों से अभियुक्त को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती हैं। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी ना करते हुए प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त मंजूर अली को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं समझती है।

9. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त मंजूर अली की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 अस्वीकार कर, खारिज किया जाता है।

(विद्यानन्द शुक्ला)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सैशन न्यायाधीश, कम–2, जयपुर जिला जयपुर)

10. आदेश आज दिनांक 10 जून,2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विद्यानन्द शुक्ला)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सैशन न्यायाधीश, कम–2, जयपुर जिला जयपुर)